इस काम के लिये पूर्ण सन्यावह (टोटल मोबिलिजेशन) किया तो मुझे पूर्ण आशा है कि हम देश के अन्दर ही काफी रुपया प्राप्त कर लेंगे ।

इसके साथ ही साथ हमारे देश में जो बड़े जमींदार और राजा महाराजा हैं उनके पास अब भी काफी रुपया पड़ा है । बहुत सा जेवर उनका छिपा पड़ा हुआ है, उनके नुमाइन्दे यहां पर बैठे हुये हैं, फारेन इंवेस्टमेंट को कंफिसकेट कर लेना चाहिये । उद्योगपतियों के जो कल कारखाने हैं उन्हें सरकार नेशनलाइज कर ले और जो उचित मुआवजा है वह दे दे । देश में इस समय सरकारी कर्मचारियों की कमी है । जो राष्ट्रीयकरण द्वारा कल कारखानों को चला सकें इसलिये इन कल कारखानों को सरकार अपने कब्जे में जब कर लेगी तो इन मालदारों और उद्योगपतियों को ही उन कारखानों के जनरल मैनेजर के रूप में रख सकती है और दो चार हजार रुपया तनख्वाह भी दे सकती है । इसी तरह से योजना को पूरा करने के लिये, देश की भलाई के लिये हमें जितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, सब को, चाहे वह किसान हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, गरीब हो, अमीर हो, टोटल मोबिलिजेशन करके, समान रूप से सामना करना चाहिये ताकि हमारी द्वितीय योजना पूरी हो सके । लेकिन मैं समझता हूं कि जिस रूप में हमारा यह काम अभी चल रहा है उससे हमारी योजना पूरी नहीं हो सकती है । इसमें कमी जो है वह जनता के सहयोग की कमी है । बगैर जनता को साथ लिये हुये हम कामयाब नहीं हो सकते हैं । जनता को साथ लेना ही नहीं है, उसमें उत्साह भी पैदा करना है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की तहेदिल से ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे प्लानिंग मिनिस्टर महोदय इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेंगे ।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT (EXCLUDING RAILWAYS) IN THE YEAR 1957-58

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI) : Mr. Deputy Chairman, I beg to lay on the Table a statement showing the Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Central Government (excluding Railways) in the year 1957-58. [Placed in Library. See No. LT-425/57.]

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE COAL BEARING AREAS (ACQUISITIONAND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL,1957

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Bill, 1957, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th December, 1957."

I lay the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. B. Josm) in the Chair.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION REGARDING MOBILISING PUBLIC ENTHUSIASM AND SUPPORT FOR THE SECOND FIVE YEAR PLAN— *continued*

श्री देवकीनन्दन नारायण (मुम्बई) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव के